शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 37/जी0आई0-82/बावन-1-2014-1(120)/13

प्रेषक,

परशुराम प्रसाद
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 20 फरवरी, 2014

विषय -12वीं पंचवर्षीय योजना में अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 22.08.2013 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की 69 वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद में स्वीकृत विकास खण्ड-मुरादाबाद, डिंगरपुर तथा दिलारी में आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक औषधालय का निर्माण के लिए केन्द्रांश की प्रथम किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाले ज्यांश की धनराशि (50 प्रतिशत) अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 3/19(12)/2012-पी0पी0, दिनांक 20.09.2013 से जनपद मुरादाबाद के उक्त विकास खण्डों के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 79.51 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेत **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ (C&DS)** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश ₹0 59.64 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश ₹0 29,82,000/-(रू0 उन्तीस □□ □□□□ हजार मात्र) □□ उसके सापेक्ष बनने वाले राज्य श ₹0 9,93,500/-(रू0 □□ □□ □□□□□□□□□ □□□ □□ मात्र) अर्थात् कुल रू0 39,75,500/- (रू0 उन्तीस लाख पचहत्तर □□□ □□□ □□ मात्र) □□□ □□ लिए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राविधानित बजट रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट ₹0 3826.935 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के□□□□ स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू0 लाख में)

विकास खण्ड-ग□□□□□										
क्र0	□□□□	□□□□	□□□	□□□ □□□	□□□ अनुमोदित केन्द्रांश	□□□ राज्यांश	□□□ □□□	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रथम किश्त		□□□ प्रस्तावित □□□□□ (□□0+□□0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	□□□□□□	आयुर्वेदिक □□□□□ □□ निर्माण	01	20.00	15.00	05.00	20.00	7.50	2.50	10.00
2	,,	होम्योपै□□□ □□□□□ □□ निर्माण	02	13.17	19.76	6.58	26.34	9.88	3.29	13.17
विकास खण्ड-डिंगरपुर										
3	,,	आयुर्वेदिक □□□□□ □□ निर्माण	01	20.00	15.00	05.00	20.00	7.50	2.50	10.00
विकास खण्ड-दिलारी										
4	,,	ग्राम रा□ केसरिया होम्योपै□□□ □□□□□	01	13.17	9.88	3.29	13.17	4.94	1.645	6.585
		□□=	05	66.34	59.64	19.87	79.51	29.82	9.935	39.755

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इस सक्षम स्तर की सवीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन य अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक □□, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना में लगायी गयी शर्तों का 3□□□□□ सुनिश्चित किया जायेगा।

2- अवमुक्त □□□□□ □□□□□, अल्पसंख्यक कल्या□, □0प्र0 लखनऊ के माध्य□ □□ कार्यदायी संस्थ **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, □□□□ (C&DS)** □□ निदेशक को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को 03 माह में अनुमोदित लागत से पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरि धनराशि नहीं दी जायेगी। प्रश्न□□ आयुर्वेदिक/□□□□□□□ □□□□□, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं क्षेत्रफल के अनुसार गुणवत्त के साथ पूर्ण किया जायेगा। निदेशव, अल्पसंख्यक कल्या□, □0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था □□

http://shasanadesh.up.nic.in

□□□□□, के मध्य □□ □ □□ □□ □□0 □ 0□0□ (मेमोरेण्डम ऑफ अण्डर टेकिंग) □□ हस्तान्तरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों पर □□□□ के मार्ग-निर्देशों तथा समय-2 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-2 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं स□□□ शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लि कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्त□□□□ होंगे।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्ड र क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 □□□□ □□ राजकोष में उ कराना सुनिश्चित करेंगे।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल-रेट □□□ विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- अवमुक्त धनराशि के उपयोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- अवमुक्त धनराशि के व्यय का जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की □□-2 प्रतियों में □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध □□□□ जायेंगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र एवं उक्त अन्य □□□□ शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

9- आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक □ □□□□□ के निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उनके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम □ □□ की जायेगी।

10- इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनरा□□ □□ 01 □□□ □□□ □□□□□ ग्राही (Grantee) द्वारा मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त् धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली नियमानुसार निदे□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा की जायेगी।

11- आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक □ □□□□□ पर कार्यदायी संस्था द्वारा एक बोर्ड भी निर्मित किया जायेगा जिस पर योजना की लागत, बजट का स्रोत, योजना के स्वीकृ□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

की तिथि, भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि तथा कार्यदायी संस्था का नाम अंकित किया जायेगा।

12- उक्त के फल स्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 □□ □ □- व्यय□ के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण□ □□ □□□□ परिव्यय□-02-समाज कल्याण□-800-अन्य व्यय-01 केन्द्रीय □ □□□□□□□/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0106-अल्पसंख्यक□ बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान□ के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण (□□0 85-□□0 15-□□0+□□0)-24-□□□□ □ निर्माण कार्य के नामे डाला ज□□□□

13- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-□-11-209(1)/□□-2014, दिनांक 12.02.2014 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(परशुराम प्रसाद)
विशेष □□□□

संख्या (1)/□□□□-1-2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- □□□□□□□□, (□□□ एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□, (लेखा परीक्ष) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, □0प्र0 □□□□

4- □□□□□, □□□□, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11□□□□□, पर्यावरण □□□, □□0□□0□0 काम्पलेक्स □□□□ □□, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश □□□□ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत केन्द्रों के निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर □□ भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6- □□□□□, **कन्स्ट्रक्शन□ एण्ड डिजाइन सर्विसेज, □□□□ (C&DS)** □□ □□ □ □□ □□ प्रेषित कि प्रश्नगत केन्द्रों का समयान्तर्गत, मानक एवं गुणवत्ता □□□□□ निर्माण पूर्ण कराने का कष्ट करें।

7- जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिका /जिला अल्प संख्यक कल्य ण अधिका , □□□□□□□ □□ □□ □ □य से प्रेषित कि कृपया निर्मित होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्□ कार्यवाही करने का कष्ट करें।

8- मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□□

9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक□ □ल्याण□, □□□□□□□, □□□□ □□ □□ आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ कष्ट करें।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- □□□□□□□, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, □0प्र0 □□ □□ सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि आहरित नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना सम्मिलित है।

11- वित्त-□-11 □

12- वित्त (□□-व्यय□) □□□□-1 को स्वच्छ प्रति की 03 प्रतियां।

13- □□□ □□□, □□0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण□ □□□□ उत्तर प्रदेश को मा0मंत्री □□ के अवलोकनार्थ।

14- □□□ □□□, प्रमुख □□□, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख □□□ महोदय के अवलोकनार्थ।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(परशुराम प्रसाद)
विशेष □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in